भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: †3365

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में मेडिकल की सीटें

†3365. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इन सीटों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों के कुल कितने पद संस्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं;
(ग) क्या उत्तर प्रदेश में लगभग 18 हजार की जनसंख्या पर एक चिकित्सक है जो एक हजार की जनसंख्या पर एक चिकित्सक के मानदंड से काफी कम है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और तत्पश्चात एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। वर्ष 2014 से पहले एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 थी, जो अब बढ़कर 1,15,900 हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुल 12,325 एमबीबीएस सीटें शामिल हैं।

कुल 13,86,157 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों पद्धतियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:811 होने का अनुमान है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों के कुल 19,669 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3,034 रिक्त हैं।

देश में सीटों की संख्या बढ़ाने और डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों/कदमों में शामिल हैं: -

i. अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए जिला/रेफरल अस्पतालों को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके अंतर्गत 157 स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्यरत हैं, जिनमें से 27 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं।

ii. एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के अंतर्गत, कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, देश भर में ऐसी 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से 11 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हैं।

iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत, 22 एम्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2 एम्स उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हैं।

v. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हता को मान्यता दी गई है।

vi. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्राचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

vii. एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से एमएससी और पीएचडी (सम्बद्ध चिकित्सा) अर्हता वाले गैर-चिकित्सा स्नातकों को संकाय के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

viii. गैर-शिक्षण परामर्शदाता/विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी और डिप्लोमा धारकों को सहायक प्रोफेसर के लिए पात्र बनाया गया है।

*****